उत्तराखंड उच्च न्यायालय(नैनीताल)

दिनांक 02 सितम्बर 2022

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी

रिट याचिका(एस/एस) संख्या 1306 सन् 2022

मध्यः

वीर सिंह यादव.....याचिकाकर्ता

(श्री अमर मूर्ति शुक्ला, अधिवक्ता द्वारा)

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य.....उत्तरदाता

(श्री पी.सी बिष्ट, उत्तराखण्ड राज्य/ उत्तरदाता के लिए अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

निर्णय

पक्षकारगण के लिए विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

2. याचिकाकर्ता जिला उधमसिंह नगर के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत है। यह रिट याचिका के माध्यम से, उन्होंने निम्नलिखित राहत की प्रार्थना की हैः–

''क) जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा जारी किए गए आक्षेपित आदेश (अनुबंध–5) को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें।

ख) परामादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें और उत्तरदाताओं को प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पद पर दिनांक 21.08.2021 से पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए निर्देश दें। 28.10.2021 यानी वह तारिख जब याचिकाकर्ता के समान स्थित और कनिष्ठ पदधारियों को पदोन्नति दी गई है।''

3. आक्षेपित आदेश जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक), उधमसिंह नगर द्वारा पारित किया गया है। यह रिट याचिका के अनुलग्नक 5 के रूप में रिकॉर्ड में है। उक्त आदेश द्वारा शासकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु याचिकाकर्ता का दावा निम्न आधारों पर निरस्त किया गया हैः–

क) रिपोर्टिंग वर्ष 2020–2021 के लिए उसे एक प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई थी; और

बी) उसके खिलाफ विभागीय जांच लंबित है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को उसके पूरे सेवाकाल में कभी भी प्रतिकूल प्रविष्टि की सूचना नहीं दी गई थी, इसलिए, आक्षेपित आदेश में दिया गया बयान कि याचिकाकर्ता को रिपोर्टिंग वर्ष 2020–2021 के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई थी, गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को आज तक कोई आरोप पत्र जारी

नहीं किया गया है, इसलिए यह बयान कि उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है, भी गलत है। इस प्रकार उनके अनुसार, उन्हें पदोन्नति से वंचित करना बिना किसी कारण या औचित्य के है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका के पैरा संख्या 13 व 14 का उल्लेख किया है, जो नीचे पुनः प्रस्तुत हैः–

''13 यह कि याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करते हुए प्रतिवादी ने झूठे और कमजोर आधार लिए हैं। यह आधार कि वर्ष 2020–2021 के लिए याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड में प्रतिकूल प्रविष्टि है, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि को कभी भी याचिकाकर्ता को सूचित नहीं किया गया है और इसलिए पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करते समय कथित प्रतिकूल प्रविष्टि पर विचार नहीं किया जा सकता है।

14 आगे यह आधार कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच लंबित है, भी टिकाऊ नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता को कथित जांच में कभी भी कारण बताओ या आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है और वह कथित जांच के बारे में जागरूक नहीं है, इसलिए केवल कथित जांच की आड़ में, जो याचिकाकर्ता के पीछे की गई, याचिकाकर्ता को उसके पदोन्नति के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है।''

6. रिट याचिका के पैरा संख्या 13 और 14 में किये गये दृढ़ कथनों को जवाबी हलफनामें में अस्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है, हांलकि जवाबी हलफनामें में यह कहीं नहीं कहा गया है कि रिपोर्टिंग वर्ष 2020–2021 के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि याचिकाकर्ता को सूचित की गई थी। इसी तरह, जवाबी हलफनामें में इस बात का कोई कथन नहीं है कि याचिकाकर्ता को आरोप पत्र तामील हो गया था। जवाबी हलफनामे के पैरा संख्या 29 में एक पत्र के बारे में बात की गई है, जो कथित तौर पर याचिकाकर्ता को 31.08.2020 को जारी किया गया था, जिसमें उन्हें 01.09.2020 को संयुक्त निरीक्षण समिति के समक्ष उपस्थित रहने के लिए कहा गया था।

7. याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक जांच के संबंध में प्रतिकूल प्रविष्टि और आरोप पत्र की तामीली के संबंध में विद्वान राज्य अधिवक्ता से एक विशिष्ट प्रश्न पर, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने उचित रूप से प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, वह है। याचिकाकर्ता को प्रतिकूल प्रविष्टि के संचार या उस पर आरोप पत्र की तामीली के संबंध में कोई कथन किये जाने की स्थिति में नहीं है।

8. ''उत्तराखंड सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और संबद्ध मामलों के खिलाफ प्रतिनिधित्व का निपटान), नियम 2002, के नियम 5 के मद्देनजर सरकारी कर्मचारी को पदोन्नति से इनकार करने के लिए गैर–संचारित प्रतिकूल रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जो निम्नानुसार हैः–

5.**रिपोर्ट को प्रतिकूल नहीं माना जाएगा–** वित्तीय हस्तपुस्तिका, खंड–II, भाग–II से IV में निहित उत्तर प्रदेश मौलिक नियमों के नियम 56 में दिए गए को छोड़कर,

जहां प्रतिकूल रिपोर्ट संप्रेषित नहीं की जाती है या प्रतिकूल रिपोर्ट के खिलाफ प्रतिनिधित्व नियम 4 के अनुसार निस्तारित नहीं किया गया है, ऐसी रिपोर्ट को संबंधित सरकारी सेवक की प्रोन्नति, कार्यकुशलता की सीमा को पार करने तथा अन्य सेवा संबंधी मामलों के लिए प्रतिकूल नहीं माना जाएगा।''

9. पूर्वोक्त वैधानिक प्रावधान के मद्देनजर, एक प्रतिकूल प्रविष्टि, जिसे याचिकाकर्ता को सूचित नहीं किया गया है, उस पर पदोन्नति से इनकार करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है।

10. अन्यथा भी, अभिजीत घोष दस्तीदार बनाम भारत संघ (2009) 16 एससीसी 146 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधरित किया हैः–

''8। दूसरे पहलू पर आते हैं, हालांकि पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए बेंचमार्क ''बहुत अच्छा'' आवश्यक है, माना जाता है कि ''अच्छा'' की प्रविष्टि अपीलकर्ता को सूचित नहीं की गई थी। उसे ''अच्छे'' की प्रविष्टि बतानी चाहिए थी क्योंकि पिछले वर्ष उसका ''बहुत अच्छा'' रहा था। उन परिस्थितियों में, हमारी राय में, एक लोक सेवक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रविष्टियों का गैर–संचार, चाहे वह सिविल, न्यायिक, पुलिस या किसी अन्य सेवा (सशस्त्र बलों के अलावा) में हो, इसके सिविल परिणाम होते हैं क्योंकि यह उसके पदोन्नति या अन्य लाभ मिलने की संभावना को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, इस तरह का गैर–संचार मनमाना होगा, और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। ऊपर दिए गए फैसले में भी इसी विचार को दोहराया गया है (देव दत्त केस)[(2008) 8 SCC 725 : (2008) 2 SCC (L&S) 771:(2008) 7 स्केल 403], SCC पेज 738, पैरा 41) जिस पर अपीलकर्ता द्वारा भरोसा किया गया। इसलिए, प्रविष्टियां ''अच्छी'' यदि अपीलकर्ता को प्रदान की जाती हैं, तो उस पर उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए, विचार नहीं किया जाना चाहिए था। प्रतिवादी के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि अपीलकर्ता को उसे दी गई ग्रेडिंग की प्रकृति के बारे में कभी सूचित किया गया था।''

11. अपने तर्क के समर्थन में कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एक अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई है, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारंभिक) द्वारा जारी पत्र दिनांक 04.03.2022 को संदर्भित किया, जो प्रतिशपथ पत्र के अनुलग्नक–13 के रूप में अभिलेख में है। उक्त पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को स्कूल भवन निर्माण के अधूरे कार्य के संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था, ऐसा न करने पर वसूली की कार्यवाही या विभागीय कार्यवाही की जाएगी। हालांकि उक्त पत्र को आरोप पत्र के रूप में नहीं माना जा सकता है। अभिलेख में यह दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता को आरोप पत्र जारी करके अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई थी।

12. कानून में यह स्थापित स्थिति है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोपपत्र जारी की जाती है तब विभागीय/अनुशासनात्मक जांच शुरू की जाती है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता

है कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई है या लंबित है।

13. चूंकि पदोन्नति के लिए मानदंड वरिष्ठता है जो अनुपयुक्त की अस्वीकृति के अधीन है, इसलिए एक वरिष्ठ शिक्षक को तभी दूर किया जा सकता है, जब पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है। अभिलेख पर लाई गयी सामग्री याचिकाकर्ता को पदोन्नति के लिए अयोग्य ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।

14. इस मामले को देखते हुए, आक्षेपित आदेश में उल्लिखित आधारों पर याचिकाकर्ता को पदोन्नति से इनकार करना कानून की नजर में कायम नहीं रखा जा सकता है।

15. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और दिनांक 10.03.2022 के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर फिर से विचार करें।

(मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति)